

बिहार गज़ट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं0 पटना 240)

6 ज्येष्ठ 1933 (श0) पटना, शुक्रवार, 27 मई 2011

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

27 मई 2011

सं० एल0जी0-1-06/2011/104-लेज— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 25 मई 2011 को अनुमित दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 8, 2011]

बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में संशोधन हेतु अधिनियम। भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- 1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।**—(1) यह अधिनियम बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
 - (3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।
- 2. **बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—24 में संशोधन ।—**(1) 2005 के अधिनियम—27 की धारा—24 की उप—धारा (6) का प्रथम परन्तुक निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—
 - "परन्तु यह कि आपदा जैसी असाधारण स्थिति में आयुक्त किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अभिलिखित विशिष्ट कारणों से सामान्य रूप से या किसी क्षेत्र विशेष के व्यवसायियों के लिए उप–धारा (1) अथवा उप–धारा (3) अथवा उप–धारा (4) अथवा उप–धारा (4क) में विवरणी अथवा विवरण दाखिल करने की निर्धारित तारीख को किसी अविध के लिए बढ़ा सकेंगे किन्तु यह वृद्धि तीन माह से अधिक नहीं होगी:"
 - परन्तु यह भी कि राज्य सरकार विवरणी या त्रैमासिक विवरण दाखिल करने की नियत तिथि को निर्धारित तिथि से छः माह की अवधि तक बढा सकेगी किन्तु एक बार में तीन माह से अधिक नहीं होगी।
 - (2) 2005 का अधिनियम 27 की धारा—24 की उप—धारा (8) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—
 - "(8)(क) उप–धारा (1) अथवा उप–धारा (3) अथवा उप–धारा (4क) में विनिर्दिष्ट समय के अंदर विवरणी अथवा उप–धारा (4) अथवा, यथा स्थिति उप–धारा (6) के अधीन विस्तारित तिथि के अंदर तिमाही से संबंधित स्टेटमेंट यदि व्यवसायी दाखिल करने में असफल रहता है तो वह जुर्माना भुगतान करने का दायी होगा–
 - (i) विलम्ब के प्रथम छः माह के लिए प्रत्येक माह, अथवा उसके भाग, के लिए सात सौ पचास रूपये की राशि : तथा
 - (ii) विलम्ब के प्रत्येक अनुवर्त्ती माह के लिए प्रत्येक माह, अथवा उसके भाग, के लिए में एक हजार रूपये की राशि।
 - (ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट विवरणी अथवा स्टेटमेंट, यथास्थिति विहित तरीके से दाखिल करने के पूर्व संबंधित व्यवसायी द्वारा खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट जुर्माना का भूगतान किया जायेगा।"
 - (3) 2005 का अधिनियम 27 की धारा-24 की उप-धारा (9क) विलोपित की जायेगी।
- 3. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा—24क में संशोधन I—(1) 2005 का अधिनियम 27 की धारा—24क में उल्लिखित शब्द समूह ''निहित किसी बात के होते हुए'' के पहले कोष्ठक और अंक "(1)" अन्तर्विष्ट किया जायेगा।
 - (2) 2005 का अधिनियम 27 की धारा-24क में निम्नलिखित नई उप-धारा (2) जोड़ी जायेगी, यथा-
 - "(2)(क) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आपदा जैंसी असाधारण स्थिति में आयुक्त किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अभिलिखित विशिष्ट कारणों से सामान्य रूप से या किसी क्षेत्र विशेष के व्यवसायियों के लिए उप–धारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी दाखिल करने की निर्धारित तारीख को किसी अविध के लिए बढा सकेंगे किन्तु यह वृद्धि तीन माह से अधिक नहीं होगी:

- परन्तु यह भी कि राज्य सरकार उप–धारा (1) में निर्दिष्ट विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि को निर्धारित तिथि से छः माह की अवधि तक बढा सकेगी।
- (ख) उप—धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के अंदर यदि व्यवसायी विवरणी दाखिल करने में असफल रहता है तो वह विलम्ब के लिए प्रत्येक माह के लिए रू० पाँच सौ की राशि अथवा उसका भाग, का भुगतान करने का दायी होगा।
- (ग) उप—धारा (1) में विनिर्दिष्ट विवरणी दाखिल करने के पूर्व विहित तरीके से संबंधित व्यवसायी द्वारा खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट जुर्माना का भुगतान किया जायेगा।
- 4. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा–25 में संशोधन I—(1) 2005 का अधिनियम 27 की धारा–25 की उप–धारा (1) का खण्ड (ड.) में शब्द समूह ''अथवा तत्काल किसी अन्य विधि के अधीन प्रवृत्त'' को विलोपित किया जायेगा।
 - (2) 2005 का अधिनियम 27 की धारा–25 की उप–धारा (1) का खण्ड (च) विलोपित किया जायेगा।
- 5. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा—27 में संशोधन (2005 का अधिनियम 27) I— (1) 2005 का अधिनियम 27 की धारा—27 की उप—धारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—
 - "(1) यदि कोई निबंधित व्यवसायी धारा—24 की उप—धारा (3) में विनिर्दिष्ट नियत तिथि के पहले धारा—24 की उप—धारा (3) में विनिर्दिष्ट विवरणी दाखिल करने में असफल रहता है तो विहित प्राधिकारी व्यवसायी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद अपने सर्वोत्तम विवेक से व्यवसायी द्वारा देय कर और सूद, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा, :
 - परन्तु यह कि धारा—26 की उप—धारा (2) के प्रावधानों के तहत विस्तृत अंकेक्षण के लिए चयनित व्यवसायी के संबंध में ऐसा कोई कर निर्धारण नहीं किया जायेगाः
 - परन्तु यह और कि ऐसे कर निर्धारण के लिए कोई कार्रवाही उस वित्तीय वर्ष के पश्चातवर्ती वर्ष के समापन के पश्चात ही प्रारंभ की जाएगी जिस वर्ष की बावत व्यवसायी द्वारा धारा 24 की उप—धारा (3) के अध्यधीन दाखिल की जाने वाली विवरणी में व्यतिक्रम किया गया हो:
 - परन्तु यह भी कि इस उप–धारा के अधीन शुरू की गई कार्यवाही प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्षों के अंदर पूर्ण कर ली जायेगी"।
- 6. **बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—31 में संशोधन I—**2005 का अधिनियम 27 की धारा—31 की उप—धारा (2) के खण्ड (ख) के बाद एक नया खण्ड (ग) निम्नवत् जोड़ा जायेगा, यथा—
- "(ग) इस उप—धारा के अधीन व्यवसायी को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा"।
- 7. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—37 में संशोधन I—2005 का अधिनियम 27 की धारा—37 में उल्लिखित शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''धारा 31 की उप—धारा (1)'' के पहले शब्द, कोष्ठक एवं अंक ''धारा—27 की उप—धारा (1)'' अन्तर्विष्ट किया जायेगा।
- 8. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—39 में संशोधन I—2005 का अधिनियम 27 की धारा—39 की उप—धारा (2) का खण्ड (iv) में उल्लिखित शब्द समूह "अथवा अधिरोपित शास्ति" के बाद शब्द समूह "अथवा भुगतेय अर्थदण्ड" अन्तर्विष्ट किया जायेगा।
- 9. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—52 में संशोधन I—(1) 2005 का अधिनियम 27 की धारा—52 की उप—धारा (1) में उल्लिखित शब्द अंक और कोष्ठक ''की उप—धारा (1) तथा उप—धारा (4)'' को शब्द, अंक और कोष्ठक ''की उप—धारा (1) अथवा उप—धारा (1क) अथवा उप—धारा (4)'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- (2) 2005 का अधिनियम 27 की धारा—52 की उप—धारा (4) में उल्लिखित शब्द, अंक और कोष्ठक ''की उप—धारा (1) और उप—धारा (4)'' को शब्द, अंक और कोष्ठक ''की उप—धारा (1) अथवा उप—धारा (1क) अथवा उप—धारा (4) से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- 10. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—54 में संशोधन। I— (1) 2005 का अधिनियम 27 की धारा—54 की उप—धारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

''(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम की धारा—24 की उप—धारा (3) का स्पष्टीकरण के आशय के अंतर्गत प्रत्येक विनिर्दिष्ट व्यवसायी अपने वार्षिक लेखा का अंकेक्षण लेखाकार के द्वारा नियत तिथि से पहले करायेगा।

स्पष्टीकरण:- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "विनिर्दिष्ट व्यवसायी" से अभिप्रेत होगा-

- (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्थ के अंतर्गत कम्पनी; तथा
- (ख) उपर्युक्त कम्पनी को छोड़कर व्यवसायी जिसकी सकल बिक्री एक करोड़ रूपया से अधिक है।
- (2) अधिनियम 27, 2005 की धारा—54 की उप—धारा (4) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—
 - ''(4)(क) यदि कोई व्यवसायी उप—धारा (2) अथवा उप—धारा (3) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह विलम्ब के लिए अर्थदण्ड के रूप में प्रत्येक माह के लिए अथवा उसका भाग 5,000 (पाँच हजार) रूपया की राशि जो अधिकतम 50,000 (पचास हजार) रूपया तक हो सकती है, भूगतान करने का दायी होगा।
 - (ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अर्थदण्ड का भुगतान विहित तरीके से प्रतिवेदन अथवा लेखा तथा स्टेटमेंट, यथास्थिति दाखिल करने के पूर्व व्यवसायी द्वारा किया जायेगा"।
- 11. **बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—56 में संशोधन ।**—2005 का अधिनियम 27 की धारा—56 का स्पष्टीकरण निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा—

"स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसा माना जायेगा कि मालों को उचित तरीके से लेखाबद्ध नहीं किया गया है यदि,—

- (क) व्यवसायी के मामले में मालों को या तो लेखा खातों में नहीं चढ़ाया गया है अथवा उन्हें इस तरह वर्गीकृत किया गया है जिससे इस अधिनियम के अधीन भुगतेय कर की अपवंचना संभावित है; अथवा
- (ख) गोदाम अथवा क्लीयरिंग, बुकिंग अथवा फारवाडिंग एजेन्ट के मालिक अथवा व्यक्ति जो मालों के यातायात के व्यवसाय में कार्यरत है के मामले में, धारा—59 की उप—धारा (2) के अधीन विहित पंजी एवं लेखा में मालों को उचित तरीके से नहीं चढ़ाया गया है; तथा अभिव्यक्ति ''उचित लेखांकन'' का तद्नुसार आशय ग्रहण किया जायेगा''।
- 12. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—72 में संशोधन।—अधिनियम 27, 2005 की धारा—72 की उप—धारा (2) में उल्लिखित शब्द समूह ''पच्चीस प्रतिशत'' को शब्द समूह ''बीस प्रतिशत'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा''।
- 13. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा—73 में संशोधन I—(1) अधिनियम 27, 2005 की धारा—73 की उप—धारा (2) में उल्लिखित शब्द समूह ''पच्चीस प्रतिशत'' को शब्द समूह ''बीस प्रतिशत'' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
- (2)— अधिनियम 27, 2005 की धारा—73 की उप—धारा (2) में एक स्पष्टीकरण निम्नवत् जोड़ा जायेगा, ''स्पष्टीकरण— इस उप—धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति ''विवादित राशि'' से अभिप्रेत होगा वह राशि जो निर्धारित कर से विवाद के वर्ष में व्यवसायी द्वारा जमा की गई कर की राशि को घटाने के बाद बचती है।''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

27 मई 2011

सं० एल०जी०—1—06/2011/105—लेज— बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 मई 2011 को अनुमत बिहार मूल्य वर्द्धित—कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सरकार के सचिव।

[Bihar Act 8, 2011] BIHAR VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2011

AN ACT

TO AMEND THE BIHAR VALUE ADDED TAX ACT, 2005 (ACT NO. 27 OF 2005)

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-second year of the Republic of India as follows:-

- 1. *Short title, extent and commencement.*—(1) This Act may be called the Bihar Value Added Tax (Amendment) Act, 2011.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
 - (3) It shall come into force with effect from the date of notification.
- 2. Amendment to Section-24 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005.— (1) The first proviso to sub-Section (6) of Section 24 of Act 27 of 2005, shall be substituted by the following, namely—
 - "Provided that the Commissioner may, in extraordinary situations such as disasters and in respect of dealers in general or of a specific area, for specific reasons to be recorded in writing, extend the date of filling the returns or statements specified in sub-Section (1) or sub-Section (3) or sub-Section (4) or sub-Section (4A) in respect of any period, beyond the stipulated date by a general or specific order and such extension shall not exceed a period of three months:"
 - Provided that the state Government may extend the date of filing the return or the quarterly return beyond the stipulated date by six months but not beyond three months at a time.
 - (2) Sub-Section (8) of Section-24 of Act 27 of 2005 shall be substituted by the following, namely—
 - "(8)(a) If a dealer fails to furnish the return within the time specified under sub-Section (1) or sub-Section (3) or sub-Section (4A) or the quarterly statement under sub-Section (4), or, as the case may be, within the date extended under sub-Section (6), he shall be liable to pay, by way of fine—
 - (i) a sum of seven hundred and fifty rupees for each month, or part thereof, of the delay for the first six months of the delay; and
 - (ii) a sum of one thousand rupees for each month, or part thereof, of the delay for each subsequent month of the delay.
 - (b) The fine specified in clause (a) shall be paid by the concerned dealer, in the manner prescribed, before furnishing the return or the statement, as the case may be, specified in clause (a)."
 - (3) Sub-Section (9A) of Section-24 of Act 27 of 2005 shall be deleted.
- 3. Amendment to Section-24A of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).—(1) The brackets and figure "(1)" shall be inserted before the words "Notwithstanding anything contained" in Section 24A of Act 27 of 2005.
- (2) The following new sub-Section (2) shall be added in Section-24A of Act 27 of 2005, namely—"(2)(a) Notwithstanding anything contained in sub-Section (1), the Commissioner may, in extraordinary situations such as disasters and in respect of dealers in general or of a specific area, for specific reasons to be recorded in writing, extend the date of filling the return specified in sub-Section (1) in respect of any period, beyond the stipulated date by a general or specific order and such extension shall not exceed a period of three months:
 - Provided that the State Government may, by a notification, extend the date for filing the return specified in sub-Section (1) beyond the stipulated date, by a period not exceeding six months."
 - (b) If a dealer fails to furnish the return within the time specified under sub-Section (1), or the date extended in clause (a), he shall be liable to pay, by way of fine, a sum of five hundred rupees for each month, or part thereof, of the delay.
 - (c) The fine specified in clause (b) shall be paid by the concerned dealer, in the manner prescribed, before furnishing the return specified sub-Section (1)."

- 4. Amendment to Section-25 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).—(1) The words "or under any other law for the time being in force" in clause (e) of Sub-Section (1) of Section-25 of Act 27 of 2005 shall be deleted.
 - (2) Clause (f) of Sub-Section (1) of Section-25 of Act 27 of 2005 shall be deleted.
- 5. Amendment to Section-27 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— (1) Sub-Section (1) of Section-27 of Act 27 of 2005 shall be substituted by the following, namely—
 - "(1) If a registered dealer fails to furnish before the due date specified under sub-section (3) of section-24 the return specified under sub-Section (3) of Section-24, the prescribed authority shall, after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, asses to the best of its judgment, the amount of tax due from the dealer and interest, if any:
 - Provided that no such assessment shall be made in respect of a dealer who has been selected for detailed audit in terms of the provisions of sub-Section (2) of section-26:
 - Provided further that no proceeding for such assessment shall be initiated except after the expiry of the financial year following the year in respect of which the dealer has defaulted in furnishing the return specified under sub-Section (3) of Section-24:
 - Provided further also that a proceeding initiated under this sub-section shall be completed within a period of two years from the date of initiation."
- 6. Amendment to Section-31 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— After clause (b) of sub-Section (2) of Section-31 of Act 27 of 2005, the following new clause (c) shall be added, namely—
- "(c) No order shall be passed under this sub-Section without giving the dealer a reasonable opportunity of being heard."
- 7. Amendment to Section-37 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— The words, brackets and figures "sub-Section (1) of section-27" shall be inserted before the words, brackets and figures "sub-Section (1) of section 31" in Section 37 of Act 27 of 2005.
- 8. Amendment to Section-39 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— The words, "or fine payable" shall be inserted after the words "or penalty imposed" in clause (iv) of sub-Section (2) of Section-39 of Act 27 of 2005.
- 9. Amendment to Section-52 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— (1) The words, figures and brackets "sub-Section (1) and sub-Section (4) of" in sub-Section (1) of Section-52 of Act 27 of 2005 shall be substituted by the words, figures and brackets "sub-Section (1) or sub-Section (1A) or sub-Section (4) of".
- (2) The words, figures and brackets "sub-Section (1) and sub-Section (4) of in sub-Section (4) of Section-52 of Act 27 of 2005 shall be substituted by the words, figures and brackets "sub-Section (1) or sub-Section (1A) or sub-Section (4) of".
- 10. Amendment to Section-54 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— (1) Sub-Section (1) of Section-54 of Act 27 of 2005 shall be substituted by the following, namely—
 - "(1) Every specified dealer shall, for the purposes of this Act, get his annual accounts audited by an accountant before the due date within the meaning of the Explanation to sub-Section (3) of section-24 of this Act.
- **Explanation.** For the purposes of this sub-Section, the expression "specified dealer" shall mean—
 - (a) a Company within the meaning of the Companies Act, 1956; and
 - (b) a dealer other than a Company, as aforesaid, whose gross turnover exceeds one crore rupees."
 - (2) Sub-Section (4) of Section-54 of Act 27 of 2005 shall be substituted by the following, namely—
 - "(4) (a) If a dealer contravenes the provisions of sub-Section (2) or sub-Section (3), he shall be liable to pay, by way of fine, a sum of five thousand rupees for each

- month, or part thereof, of the delay, subject to a maximum of fifty thousand rupees.".
- (b) The fine specified in clause (a) shall be paid by the concerned dealer, in the manner prescribed, before furnishing the report or, as the case maybe, the accounts and statements."
- 11. Amendment to Section-56 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).—The Explanation to section-56 of Act 27 of 2005 shall be substituted by the following, namely—
- **Explanation.** For the purposes of this section it shall be deemed that goods have not been properly accounted for if,
 - in the case of a dealer, the goods have either not been entered in the books of accounts or they have been classified in a manner which is likely to lead to evasion of tax payable under the Act; and
 - (b) in the case of the owner of a warehouse, or a clearing, booking or forwarding agent, or a person engaged in the business of transporting goods, the goods have not been properly entered in such registers and accounts as may be prescribed under sub-Section (2) of Section-59;
 - and the expression "proper accounting" shall be construed accordingly."
- 12. Amendment to Section-72 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).— In sub-Section (2) of section-72 of Act 27 of 2005, the words "twenty-five percent" shall be substituted by the words "twenty percent".
- 13. Amendment to Section-73 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).—(1) In sub-Section (2) of section-73 of Act 27 of 2005, the words "twenty-five percent" shall be substituted by the words "twenty percent".
- (2) The following explanation shall be added to sub-Section (2) of section-73 of Act 27 of 2005, namely— $\,$
- "Explanation.— For the purposes of this sub-Section, the expression "amount in dispute" shall mean the sum remaining after deducting from the tax assessed, the amount of tax deposited by the dealer in respect of the year to which the dispute relates."

By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 240-571+400-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in